संख्या-84/2025/।/1133360/2025/002-71-2099-46-2025

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, उ0प्र0,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 06 नवम्बर, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के पूंजीगत मद मद में मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्रों की सूची अनुमोदित किये जाने तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-के0एस0एस0एस0सी0आई0/परचेज/2025-26/171/01, दिनांक 16.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के पूंजीगत मद में मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 15000.00 लाख (रू0 एक अरब पचास करोड मात्र) के सापेक्ष **Miscellaneous** श्रेणी मे धनराशि रू0 2093.86 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान संस्थान हेतु उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखा शीर्ष ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-105-एलोपैथी-59 कैंसर संस्थान लखनऊ-26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 2093.86 (रुपये बीस करोड़ तिरान्बे लाख छियासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में अनावश्यक नहीं रखी जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. सूची में अनुमोदित उपकरणों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुन: सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया किया जायेगा।
8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
9. उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
10. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
11. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
12. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
13. विशेष ध्यान रखा जाए कि क्रय किये जाने वाले उपकरणों के संबंध में जेम पोर्टल पर पर्याप्त मात्रा में ओ0ई0एम0 उपलब्ध हो। इस बात का ध्यान रखा जाए कि उपकरणों के अनुमानित मूल्य बाजार मूल्य के सापेक्ष/समानुपातिक हों। इसके अतिरिक्त मानकानुसार विशिष्टियों का भी भी ध्यान रखा जाये।
14. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,93,86,000 (रुपये बीस करोड़ तिरान्बे लाख छियासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031055900 कैंसर संस्थान, लखनऊ मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-84/2025/।/1133360/2025/002-71-2099-46-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा, शिक्षा विभाग।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-84/2025/।/1133360/2025/002-71-2099-46-2025, दिनांक 06 नवम्बर 2025 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

S. No.	Furniture	Value estimation (Rs. In Lakh)
1.	Hospital Furniture (G+9)	352.00
2.	Office Furniture	703.49
3.	Work Station for Procurement, Services and IT Department	100.00
4.	Auditorium Chair	50.00
5.	Furniture For Radiation Oncology (Hospital & Office)	250.00
6.	IT Product & Infrastructure for HIS-Server storage, Security Software and networking, Computers, Printers, UPS, Interactive Pannel, Taxes and Duties etc.	638.37
	Total	**2093.86**

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in